किसनचन्द्र बनाम सरकार
(113/2020)

21-2-22

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया कि प्रकरण में सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—06—2010 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा दिनांक 04—03—2021 को अपीलांट् की निगरानी मंजूर करते हुए निर्णय पारित करते हुए अपीलांट् की निगरानी को रिमाण्ड कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील निष्प्रभावी होने के कारण इसी स्तर पर जरिये निष्प्रभावी खारिज फरमाई जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 9 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 203/10 तादादी 25 बीघा भूमि के बाबत् पारित आदेश दिनांक 25—06—2020 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई थी। चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा उनके समक्ष जैरकार निगरानी/एलआर/2781/2020 बीकानेर किशनचन्द्र बनाम सरकार दिनांक 04—03—2021 को निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी होने के फलस्वरूप जरिये निष्प्रभावी खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तामील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:50:19 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर